

तारीख हुक्म

14/11/19

वकुलाय उप० बहस हेतु अपसर  
हे। बहस हेतु अपसर सुनवात  
जाकर पत्रावली दिनांक 28/11/2019 के  
है।

28/11/19

वकुलाय उप० प्रकरण में बहस वकुला  
उभय पक्ष सुनी गई। बापने आदेश  
पत्रावली दिनांक 06/12/2019 के के लगे  
है।

06/12/19

पत्रावली वाले आदेश आत पेश हुई। वकुला  
उभयपक्ष उप० प्रकरण में वकुलाय उभयपक्ष  
की बहस T.I. पूर्व में सुनी जा चुकी है  
वरवन्त बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रारंभ  
व जवाब उल जवाब में अंकित तथ्यों को  
दोहराते हुए अप्रार्थीगण को तद्दौराने फैसल  
वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करमाया  
जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस  
के जवाब में वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब  
प्रारंभ में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रारंभ  
T.I. खारिज करमाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध शान्भव रिपोर्ट,  
प्रारंभ T.I. एवं जवाब प्रारंभ T.I. अंकित  
का अवलोकन किया गया। अंकित अप्रार्थी संख्या  
1/2 तथा 2 विवाहित आरावली के अपने एक  
प्रिन्सा अनुदार रिपोर्ट्स खतेदार हैं। अतः

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तालीम  
में जारी हुए

रिकार्डों के स्वामित्व के विरुद्ध प्राप्ति T.I.  
कानूनन पोषणीय नहीं पाया जाने पर प्रा  
पत्र T.I. इसी स्तर पर स्वारित किया जाता  
है। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर नम्बर से  
कत हो तथा वाद तमनील दाखिल कम्बर हो  
यह निर्णय आज दिनांक 06/12/2019 को  
मेरे द्वारा सुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजीव सिंह)  
सहायक कलमर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला  
सहायक कलमर (फास्ट ट्रेक)  
खण्डेला (सीकर)